साप्ताहिक
Live not just breaTHE

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/16-18

दि कार्मिक पोस्ट

वर्ष : 5, अंक : 46 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 8 जुलाई से 14 जुलाई 2020 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

जरुरी है पहाड़ी जल स्रोतों को बचाना, 2050 तक 150 करोड़ लोग होंगे इन पर निर्भर

अनुमान है कि 2050 तक करीब 150 करोड़ लोग अपनी जल सम्बन्धी जरूरतों के लिए पहाड़ी जल स्रोतों पर निर्भर होंगे। वहीं पिछले 100 सालों में पानी की खपत 4 गुना बढ़ गई है। जिसे पूरा करने के लिए पहाड़ों से निकलने वाली नदियों और जल स्रोतों पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि यह जल स्रोत एक बड़ी आबादी की जल आवश्यकता को पूरा करते हैं, पर भविष्य में यह तभी मुमकिन हो सकेगा जब हम इनके सतत विकास पर ध्यान दें। इनका इतना भी दोहन न करे की फिर इनसे हमें कुछ मिल ही न सके। इसलिए इस कीमती संसाधन का सूझबूझ से उपयोग करना जरुरी है।

आज पानी हमारे लिए कितना जरुरी है यह बात सभी जानते हैं। भारत की भी एक बड़ी आबादी हिमालय से आने वाली नदियों पर निर्भर हैं। गंगा, यमुना, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां भारत के लिए अत्यंत जरुरी हैं। इसी प्रकार मेकांग, पद्मा नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया और बांग्लादेश की आबादी और अर्थव्यवस्था को आधार प्रदान करती है। तराई में रहने वाली एक बड़ी आबादी अपनी जल सम्बन्धी आवश्यकता के लिए इन पहाड़ों और उनके जल संसाधन पर ही निर्भर है। बात चाहे पीने के लिए पानी की हो या खेतों की सिंचाई की, उसमें इन पर्वतीय जल स्रोतों का एक बड़ा योगदान होता है। ऐसे में उसका आंकलन जरुरी हो जाता है। इसी पर यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख ने एक शोध किया है जोकि जर्नल नेचर सस्टेनेबिलिटी में प्रकाशित हुआ है।

1960 के बाद से बढ़ रही है निर्भरता

इस शोध में पहाड़ी जल स्रोत तराई की कितनी पानी सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करते हैं, इस बात का अध्ययन किया गया है। इस शोध में जल की आपूर्ति और खपत का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है जिससे उसकी निर्भरता को निर्धारित किया जा सके। इस शोध से प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार 2050 तक तराई में रहने वाली करीब 24 फीसदी आबादी पहाड़ी जल स्रोतों पर निर्भर होगी। जोकि करीब 150 करोड़ की आबादी होगी। जबकि 1960 में करीब 7 फीसदी आबादी ही इन जल स्रोतों पर निर्भर थी। यह स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि इन जल स्रोतों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है।

इस शोध के प्रमुख शोधकर्ता और यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में भूगोल विभाग से जुड़े डैनियल विविरोली ने बताया कि यह शोध मुख्य रूप से एशिया के ऊंचे पर्वतों और उसकी नदी घाटियों पर ही केंद्रित है। लेकिन इसके साथ-साथ मध्य पूर्व, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के भी कई क्षेत्र अपनी सिंचाई सम्बन्धी जरूरतों के लिए पहाड़ी जल स्रोतों पर ही निर्भर हैं।

संसाधनों की बर्बादी और जलवायु परिवर्तन से बढ़ रहा है इनपर दबाव

आल्टो यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर और इस शोध से जुड़े मैटी कुमू ने बताया कि तराई में रहने वाले लोगों को इन पहाड़ों को बचाने पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह पहाड़ उनके %वाटर टावर हैं। ऐसे में माउंटेन इकोसिस्टम को बचाना और इन क्षेत्रों का सतत विकास जरुरी है। जिस तरह से जलवायु में परिवर्तन आ रहा है और तापमान में वृद्धि हो रही है। उससे इन पहाड़ों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। वहीं तापमान बढ़ने के साथ पहाड़ों पर जमी बर्फ समय से पहले ही पिघल रही है, जिसका असर कृषि पर भी पड़ रहा है। इससे पहले जर्नल नेचर में छपे एक शोध में भी बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन और जल संसाधनों के ठीक से प्रबंधन ने किये जाने को इन वाटर टावर्स पर बढ़ते खतरे के लिए जिम्मेवार माना था।

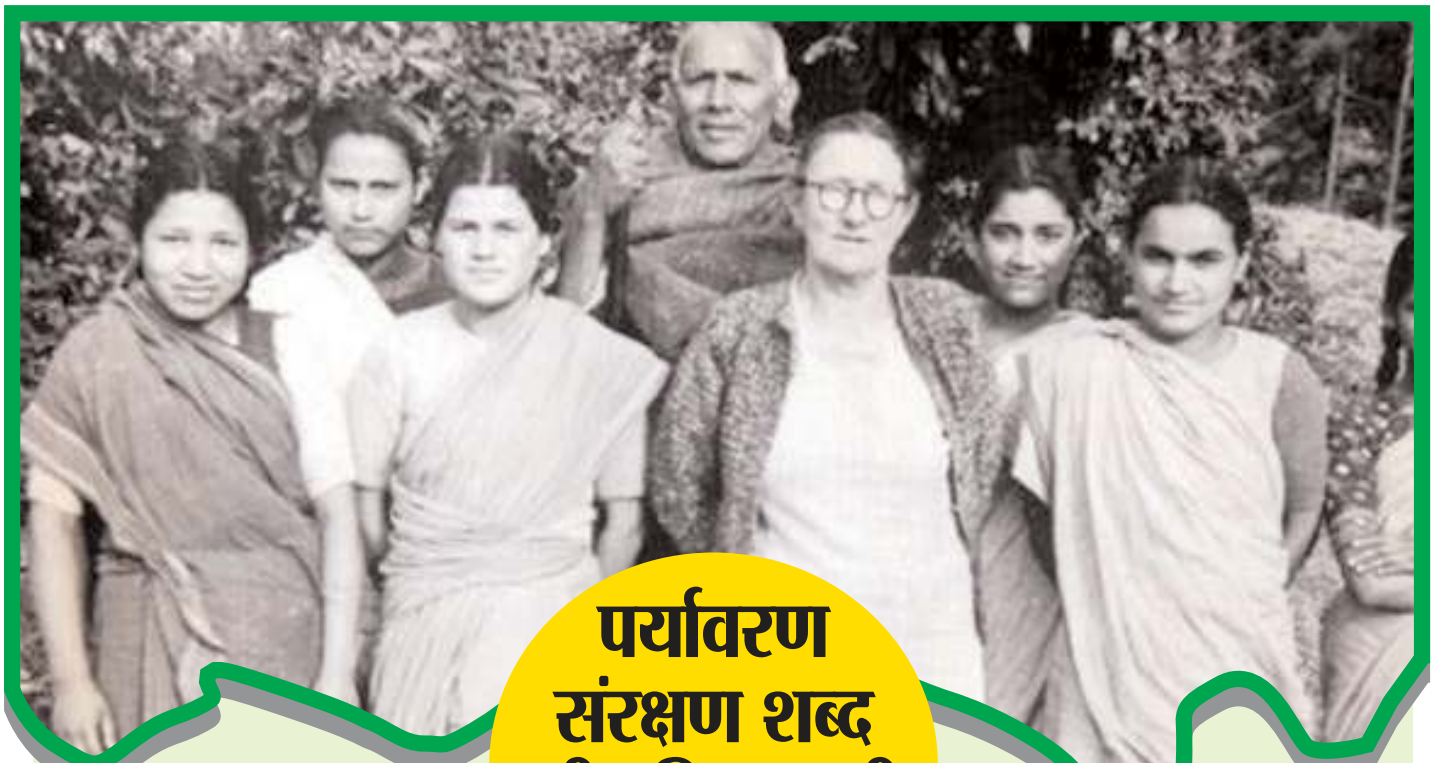

पर्यावरण संरक्षण शब्द की रचियता थी सरला बहन

इंग्लैंड से आकर भारत को अपनी कर्मभूमि बनाने वाली समाजसेवी सरला बहन ही पर्यावरण शब्द की रचयिता हैं।

चंद्रशेखर द्विवेदी, बागेश्वर- इंग्लैंड से आकर भारत को अपनी कर्मभूमि बनाने वाली समाजसेवी सरला बहन ने पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तीकरण और बालिकाओं को बुनियादी शिक्षा देने के लिए व्यापक अभियान चलाया। वह पर्यावरण संरक्षण शब्द की रचियता तो वह थी ही वहीं वह पहली व्यक्ति थी जिन्होंने जंगल बचाने के लिए अभियान चलाया। बाद में चिपको आंदोलन हुए। अपने जीवन को प्रकृति में आत्मसात करके जीने वाली थी सरला बहन। आज भी उनके विचार प्रासंगिक है।

मूलरूप से इंग्लैंड निवासी कैथरीन मैरी हैलीमन कैथरीन महात्मा गांधी के विचारों से इतनी प्रभावित हुईं कि 1932 में वह उनसे मिलने भारत पहुंचीं। महात्मा गांधी की सलाह पर उन्होंने अपना नाम सरला बहन रख लिया। 1941 में वह अल्मोड़ा आ गईं। कौसानी के निकट चनौदा गांधी आश्रम में रहकर उन्होंने सामाजिक कार्यों के साथ ही भारत की आजादी के लिए हुए आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी की। उन्हें दो बार जेल भी जाना पड़ा। गांधीवादी विचारधारा और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने 1946 में कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल (लक्ष्मी आश्रम कौसानी) की स्थापना की। वर्ष 1975 में धरमघर में हिमदर्शन कुटीर की स्थापना की। उनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए सरकार ने 1978 में उन्हें जमुना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया। उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण, ग्राम स्वराज के साथ ही सामाजिक कुरीतियों से समाज को जागरुक करने में सरला बहन का अहम योगदान रहा। उन्होंने %संरक्षण और विनाश% किताब के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन की वास्तविक स्थिति बताई। पांच अप्रैल 1901 को इंग्लैंड में जन्मी और आठ जुलाई 1982 को अल्मोड़ा उनका देहांत हो गया। सरला बहन की स्मृति में अनाशक्ति आश्रम के समीप संग्रहालय का निर्माण कराया गया है। -- वह निर्भीक प्रतिबद्ध भारतीय थी। पर्वतीय महिलाओं के आगे बढ़ाने के लिए और पर्यावरण संरक्षण को अपना जीवन सर्मिपत कर दिया। पहली महिला थी जिन्होंने जंगल बचाने के लिए काम किया और बाद में चिपको आंदोलन आदि हुए।

पर्यावरण संरक्षण जन्मदिन-शादी को बनाइये यादगार, दीजिए

जन्मदिन हो या फिर शादी की सालगिरह। साल में ऐसे कई खास मौके आते हैं जिन्हें हम धूमधाम से मनाते हैं। सेल्फी, फोटो, वीडियो के जरिए इन खुशनुमा पलों को सहेजते हैं, लेकिन हरियाली का शगुन देकर अब इन्हें लंबे समय तक के लिए यादगार बनाया जा सकेगा। खास मौकों को और भी खास बनाने की यह पहल की है नगर निगम प्रशासन ने। जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने या बच्चों के जन्मदिन, शादी या उसकी सालगिरह, माता-पिता की स्मृति या फिर परिचितों के जन्मदिन पर उपहार के रूप में उनके नाम का पौधा लगवा सकता है। ककरा कलां स्थित जैव विविधता पार्क में लगने वाले पौधे के वृक्ष बनने तक उसकी रखवाली नगर निगम करेगा। हालांकि इसके लिए 5100 रुपये बतौर शगुन निगम प्रशासन को देने होंगे। ये रुपये पौधे की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड के अलावा उसके समय-समय पर खाद, पानी आदि पर व्यय होंगे।

पर्यावरण प्रेमियों के लिए सौगात

तमाम लोग हैं जो शुभ अवसरों पर अपने घर या सार्वजनिक स्थानों पर पौधारोपण तो करते हैं, लेकिन नियमित देखभाल संभव नहीं होती। ऐसे में 90 फीसद मामलों में पौधे नष्ट हो जाते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो खास मौकों पर पौधे लगाना तो चाहते हैं, लेकिन घर में जगह न होने की दिक्कत आ जाती है। ऐसे पर्यावरण प्रेमियों के लिए यह पहल मददगार होगी। इससे न सिर्फ उन्हें अपनी पहचान के रूप में नाम का व्यक्तिगत पेड़ लगाने का अवसर मिलेगा, बल्कि शहर के पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान दे सकेंगे।

पार्क एक नजर में :

- दस हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैल है जैव विविधिता पार्क
- वॉकिंग ट्रैक के बाद साइकिल ट्रैक बनाने पर भी विचार
- यहां पर विभिन्न प्रजातियों के लगाए जाएंगे पौधे
- वनस्पति विज्ञान, कृषि के छात्र-छात्राओं के अध्ययन में मिलेगी मदद
- छोटे घने जंगल का होगा स्वरूप, फलदार वृक्ष भी होंगे इसमें
- 11 हजार पौधों लगाए गए हैं यहां पर, चल रहा है पौधारोपण

इस थीम के पीछे हमारा मकसद लोगों का पर्यावरण के प्रति रूझान बढ़ाना है। बच्चे जब अपने नाम के पौधे को साथ बड़ा होता देखेंगे तो उनके व उनके अभिभावकों के लिए अनूठा अनुभव होगा। लोगों की पार्क में आवाजाही बढ़ेगी। अपने नाम का वृक्ष होने से न सिर्फ संबंधित व्यक्ति बल्कि उनके परिवार का भी जुड़ाव होगा।

पर्यावरण प्रभाव आकलन का नया ड्राफ्ट जनविरोधी है- मेधा

पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) 2020 अधिसूचना के ड्राफ्ट पर देशभर के पर्यावरणविदों से लेकर जन संगठन सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि यह अधिसूचना पर्यावरण कानून को न केवल कमजोर करेगी, बल्कि विकास योजनाओं से उजड़ने या डूबने वालों के विरोध की आवाज को भी दबाने का काम करेगी। इस मसौदे में जनसुनवाई जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान को खत्म करने की बात कही गई है। ऐसे में इस मुद्दे पर बीते तीन दशकों से देश की सबसे बड़ी नर्मदा घाटी परियोजना पर लगातार जनसुनवाई करके सवाल उठाने वाले संगठन नर्मदा बचाओ आंदोलन की कार्यकर्ता मेधा पाटकर से बातचीत की।

देश में पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसमें कानूनी रूप से कब बड़ा बदलाव आया?

पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसमें कानूनी रूप से सबसे बड़ा बदलाव 1986 में आया। इस साल पर्यावरण सुरक्षा कानून लाया गया और पर्यावरण मंत्रालय को शक्तियां प्रदान की गई। उस समय टीएन शेषन मंत्रालय के सचिव थे, जो पर्यावरण के प्रति सजग और संवेदनशील थे। तब पर्यावरण के नियम और नीति भी जनपक्षीय आधार पर आगे बढ़ीं।

पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ईआईए) पहली बार नोटिफिकेशन कब आया?

यह काम हुआ 1994 में जब कांग्रेस सत्ता में थी। उस समय केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय एक नोटिफिकेशन लाया। इस नोटिफिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात थी, लोगों की जनसुनवाई का प्रावधान। यह प्रावधान पहली बार शामिल हुआ था। उस समय से लेकर अब तक विकास परियोजनाओं से उजड़ने और डूब में आने वाले प्रभावितों के लिए यह एक अस्त्र की तरह काम कर रहा था। कहने का अर्थ कि यह विरोध करने का एक ऐसा अस्त्र था, जिसे अब खत्म किया जा रहा है। इस प्रकार की जन सुनवाइयों से विकास योजनाओं की असलियत न केवल सामने आती है, बल्कि इससे प्रभावितों की आवाज भी शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का सबसे आसान तरीका था। क्योंकि यदि इस प्रकार के लोग सीधे शासन या प्रशासन के पास जाते हैं तो उन्हें खदेड़ दिया जाता है, लेकिन इस जन सुनवाई ने आम लोगों को एक हथियार प्रदान किया। इससे सरकार और जनता दोनों ही पर्यावरण की सुरक्षा का ख्याल रख पा रहे थे।

जनसुनवाई को सरकार ने कब से कमजोर करना शुरू किया?

इस हथियार का ही नतीजा था कि देशभर की कई विकास योजनाओं को सरकार फिर आकलन करने पर मजबूर हुई। हालांकि इस अस्त्र से सरकार को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऐसे में सरकार ने पहली बार इस जनसुनवाई के अस्त्र को कुंद करने की कोशिश 2006 में की। इसमें केंद्र सरकार ने बदलाव किया। केंद्र सरकार ने 2006 में एक नोटिफिकेशन जारी कर जनसुनवाई को कमजोर करने के लिए कई अड़ंगे लगाए। कहने के लिए इस नोटिफिशन से जनसुनवाई को धक्का जरूर लगा, लेकिन इसके बावजूद लोगों को इस पर भरोसा बना रहा क्योंकि इसे पूरी तरह से कुंद नहीं किया गया था।

पर्यावरण व पक्षियों को बचाने के लिए पौधरोपण जरूरी

पर्यावरण व पक्षियों की सुरक्षा के लिए पौधरोपण बहुत जरूरी है। हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे रोपकर उनकी तब तक देख रेख करना चाहिए जबतक वह वृक्ष का रूप न ले लें। पौधरोपण कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत में 2 हजार से अधिक पौधे रोपे गए। तहसीलदार गजराज सिंह यादव ने गांव कंधेसी पचार में स्थित जूनियर हाईस्कूल के पास पौधरोपण करते हुए कहा कि पर्यावरण संतुलन में महती भूमिका निभाने वाले पेड़ों के अभाव में पक्षियों की संख्या भी घट रही है। इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि शैलेन्द्र शुक्ला व सचिव अनुष्का दुबे की अगुवाई में गांव स्थित चार तालाबों के किनारे,अंत्येष्टि स्थल,परिषदीय विद्यालय परिसर,पंचायत घर,मुख्य संपर्क मार्ग व सार्वजनिक स्थलों आदि पर राजस्व विभाग, पंचायती राज व मनरेगा के तहत कुल 2250 पौधे रोपे। इस मौके पर बीडीओ राजेश मिश्रा, ग्राम प्रधान विनीता शुक्ला भाजपा मंडल उपाध्यक्ष अरविंद दुबे, प्रेमकिशोर शुक्ला, रामप्रकाश सविता, राजीव शुक्ला,ओमकार दुबे, मंटू शुक्ला, रितिक,ध्रुव पंडित,अमित मौजूद रहे।

पर्यावरण बचाने को 26 हजार पेड़ लगाएगी चीनी मिल

बलरामपुर। कोरोना वैश्विक महामारी के बीच बलरामपुर चीनी मिल ने 26 हजार पौधे लगाकर पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने का निर्णय लिया है। चीनी मिल की ओर से विभिन्न स्थानों पर इसके तहत अर्जुन, जामुन, नीम, बरगद, महुआ, शीशम, सहजन व सागौन आदि के पेड़ लगाए जाएंगे। यह जानकारी देते हुए मिल के अधिशासी अध्यक्ष प्रवीन गुप्ता ने बताया कि पर्यावरण को स्वच्छ व प्रदूषणमुक्त बनाने के लिए मिल प्रबंधन ने अपने सामाजिक दायित्वों के तहत यह काम बीते दिनों शुरू कर दिया है। अभी तक पांच हजार पेड़ लगाए जा चुके हैं। यह काम डीएम कृष्णा करुणेश व डीएफओ रजनीकांत मित्तल व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बस्ती के क्षेत्राधिकारी विजय कुमार के सहयोग से किया जा रहा है। मिल के एचआर हेड राजीव कुमार जायसवाल ने बताया कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए ताजी हवा में सांस लेना जरूरी है। हमें ताजी हवा तभी मिलेगी जब पर्याप्त वृक्ष होंगे। इस अवसर पर निदेशक डॉ. एके सक्सेना, राजीव गुप्ता, विनोद मलिक, एसडी पांडेय, एमके अग्रवाल, बीएन ठाकुर, एसपी सिंह व उदयवीर सिंह आदि लोग मौजूद रहे।

जिले में मानक का आधा भी नहीं है वन क्षेत्र

पौधरोपण अभियान के तहत एक बार फिर वन विभाग ने कसी कमर 17 लाख पौधे लगेंगे आंकड़ों का आईना 15 प्रतिशत है जनपद में वन आच्छादित क्षेत्र 1840 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले हैं हाथरस के वन 15. एआरएस आजाद, हाथरस = वन हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। इनके बिना स्वस्थ जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की आजीविका सुरक्षा के लिए वनों के तहत कम-से-कम 33 प्रतिशत भूमि होनी चाहिए। पर जनपद में यह सिर्फ 15 फीसदी के करीब है। जनपद की कुल 15.5 लाख की आबादी के अनुरूप यह यह काफी कम है। इसे बढ़ाने के लिए हर वर्ष अभियान तो चलाए जाते हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में वन क्षेत्र न के बराबर बढ़ पा रहे हैं। वनों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्तर पर प्रति वर्ष प्रयास किए जाते हैं। इसके तहत जुलाई में पौधारोपण किया जाता है।

पर्यावरण व जल संरक्षण के लिए सभी को एक साथ आना होगा

हर साल हम जुलाई में वन महोत्सव मनाते हैं। वन महोत्सव में सरकारी विभागों, ग्राम सभाओं, सामाजिक संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं व अन्य निकायों द्वारा करोड़ों वृक्षों का रोपण किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है की हरियाली बढ़े, वातावरण शुद्ध हो और पर्यावरण को संरक्षित करें। देश में वन महोत्सव का आरंभ वर्ष 1950 में तत्कालीन कृषि मंत्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी किया गया था।

इतने वर्षों के बाद भी हम पर्यावरण के प्रति उतने संवेदनशील नहीं हैं जितना होना चाहिए था। पर्यावरण शब्द का अर्थ है हमारे चारों ओर का वातावरण या परिवेश। इसीलिए पर्यावरण संरक्षण का तात्पर्य है कि हम अपने चारों ओर के वातावरण को संरक्षित करें और उसे जीवन के अनुकूल बनाएं। पर्यावरण और जीव एक दूसरे के पूरक हैं। इसी कारण भारतीय दर्शन में पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है जितना यहां मानव जाति का इतिहास है।

भारतीय दर्शन के अनुसार मानव शरीर की रचना पर्यावरण के पांच महत्वपूर्ण घटकों- पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से हुई है। दीर्घायु और स्वस्थ मानव जीवन के लिए यह आवश्यक है कि पर्यावरण के इन सभी पांच घटकों को प्रदूषित न करते हुये भविष्य के लिए संरक्षित किया जाए। विश्व भी भारत के इस दर्शन को सम्मान करता है। इसीलिए पर्यावरण की सुरक्षा व संरक्षण के लिए पूरे विश्व में प्रत्येक वर्ष 05 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 1976 में पर्यावरण संरक्षण का विशेष संज्ञान लेते हुये संविधान में संसोधन कर नया अनुच्छेद 48 और 51(त) जोड़े थे। अनुच्छेद 48 सरकार को निर्देश देता है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा करे और अनुच्छेद 51 (त) नागरिकों को पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रेरित करता है।

पर्यावरण संरक्षण के विरोधाभास में प्रगति के नाम पर मानव द्वारा पर्यावरण को विकृत करने का प्रयास हो रहा है। विकास के अंध दौड़ में विश्व का प्रत्येक देश आगे बढ़ने को बेचैन है। प्रतिस्पर्धा के इस दौड़ में प्रकृति के बनाए हुए नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। इसका दुष्परिणाम मानव समाज के समक्ष समय-समय पर परिलक्षित होता रहता है। वर्तमान वैश्विक महामारी कोविड-19 भी प्रकृति एवं पर्यावरण को दूषित करने का ही परिणाम है। प्रकृति हमें समय-समय पर इस प्रकार के महामारी या अन्य आपदाओं जैसे चक्रवात/समुद्री तूफान,भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि से अपनी नाराजगी से सचेत करता रहता है।

अगर हम कृषि की बात करें तो मृदा का अनावश्यक दोहन, रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग तथा भूजल का अत्यधिक दोहन से खेती के लिए आवश्यक इन संसाधनों के गुणवत्ता तथा उपलब्धता पर संकट खड़ा हो गया है। देश के कई हिस्सों में खेती के लिए उपलब्ध जमीन बंजर होता जा रहा है, भूजल स्तर प्रति वर्ष लगातार नीचे जा रहा है। इन कारणो से लाखों किसानो के आजीविका पर प्रश्न चिन्ह सा लगता दिखाई दे रहा है। जल संकट की समस्या को गंभीरता से लेते हुये भारत सरकार ने वर्ष 2018 में जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया जिससे जल संसाधन को संरक्षित करने हेतु अधिक समग्र तथा उपयोगी नीति बनाकर पूरे देश में तीव्र गति से लागू किया जा सके। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले %मन की बात% कार्यक्रम के एक अंक में जल संकट पर बोलते हुये अपने विचार साझा करते हुये विभिन्न क्षेत्र के विशिष्ट हस्तियों से जल संरक्षण के क्षेत्र में नवोन्मेषी कार्य करने का आग्रह कर चुके हैं।

कुछ लोग यह मानते हैं की पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करना सिर्फ सरकार या कुछ संस्थाओं की ज़िम्मेदारी है। यह निरर्थक सोच है, वास्तव में पर्यावरण संरक्षण समाज के हर वर्ग तथा हर नागरिक की ज़िम्मेदारी है। प्रत्येक व्यक्ति जब इस अभियान से जुड़ेगा, तभी हम पर्यावरण को वर्तमान तथा भविष्य के लिए संरक्षित कर पाएंगे।

पृथ्वी के हर जीव के लिए जल की बहुत आवश्यकता होती है। पेड़-पौधों के लिए भी जल की बहुत आवश्यकता होती है। जल तरल, ठोस एवं गैस रूप में विद्यमान होता है। जल जीवन का सबसे आवश्यक घटक है और जीविका के लिए महत्वपूर्ण है। जल प्रकृति की अनमोल धरोहर है। बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। पीने के लिये शुद्ध जल हमारे लिये जरूरी है। क्योंकि स्वच्छ एवं सुरक्षित जल अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। धरती के दो तिहाई हिस्से पर पानी भरा हुआ है। फिर भी पीने योग्य शुद्ध जल पृथ्वी पर उपलब्ध जल का मात्र एक प्रतिशत हिस्सा ही है। 97 प्रतिशत जल महासागर में खारे पानी के रूप में भरा हुआ है। शेष रहा दो प्रतिशत जल बर्फ के रूप में जमा है। आज समय है कि हम पानी की कीमत समझें। यदि जल व्यर्थ बहेगा तो आगे आने वाले समय में पानी की कमी एक महा संकट बन जाएगा। ऐसी भी आशंका जताई जाती है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वह जल संकट के कारण होगा।

लगातार बढ़ रहा है जल संकट- आज लोगों को एक-एक घड़े शुद्ध पेयजल के लिये मीलों भटकना पड़ रहा है। जल के टैंकर और ट्रेन से जल प्राप्त करने के लिये घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ता है। रोजमर्रा के कामकाज नहाने, कपड़े धोने, खाना बनाने, बर्तन साफ करने, उद्योग धंधा चलाने के लिये तो जल चाहिए वह कहाँ से लाएँ, जबकि नदी, तालाब, ट्यूबवैल, हैण्डपम्प एवं कुएं, बावड़ियां सूख गए हैं। पशु-पक्षियों को भी पानी के लिये मीलों भटकना पड़ता है। हरियाली कम होता जा रहा है। जल की कमी से अनेक कारखाने बंद होने से लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। खेती-बाड़ी के लिये तो और भी अधिक पानी की जरूरत है परन्तु पानी नहीं मिलने से खेती-बाड़ी चौपट होती जा रही है। जल संकट हमारे पूरे दैनिक जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करता है। इसलिये इस मसले पर प्राथमिकता से ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008